भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1055

जिसका उत्तर शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025/14 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की बलपूर्वक बंडलिंग

1055. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कई उर्वरक उत्पादक कंपनियां बलपूर्वक बंडलिंग में लगी हुई हैं, जिसके तहत खुदरा विक्रेताओं को यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) जैसे आवश्यक उर्वरकों के साथ गैर-जरूरी उत्पाद भी खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार की बलपूर्वक व्यापार प्रथाओं और किसानों की वित्तीय स्थिति पर उनके प्रभाव, विशेषकर कृषि क्षेत्रों में, जहां खेती आजीविका का मुख्य स्रोत है, की कोई जांच कराई है;

(ग) क्या शोषण को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम या प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत ऐसी कंपनियों के खिलाफ कोई नियामक कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का किसानों को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के उर्वरक तक प्रत्यक्ष और उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अधिक कड़ी निगरानी और नीतिगत उपाय शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। **आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारों को कालाबाजारी/अधिक मूल्य निर्धारण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उर्वरकों की कालाबाजारी/अधिक मूल्य निर्धारण के संबंध में उर्वरक विभाग स्तर पर प्राप्त होने वाली कोई भी शिकायत आवश्यक** वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है।

इसके अलावा, उर्वरक विभाग उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग/बंडलिंग को प्रोत्साहित नहीं करता है। तदनुसार, उर्वरक कंपनियों को उपयुक्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें उन्हें ऐसे कदाचारों में शामिल न होने का निदेश दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को नियमित रूप से अ.शा. पत्र लिखे जाते हैं जिनमें उनसे टैगिंग को रोकने के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

*****